रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19122025-268664
CG-DL-E-19122025-268664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5719] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 19, 2025/अग्रहायण 28 1947
No. 5719 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 19, 2025/AGRAHAYANA 28, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5916(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. **1908(E) तारीख 25/04/2025**, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा **आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के कि.मी. 112.500 से कि.मी.119.400 (मंत्रालयम बाईपास के अडोनी से माधवरम खंड)** तक के भूखण्ड पर के निर्माण, (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"09.05.2025 "** को **"हंस इंडिया"** और **"आंध्र प्रभा"** दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के करनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के कि.मी. 112.500 से कि.मी.119.400 (मंत्रालयम बाईपास के अडोनी से माधवरम खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश (28)			**जिले का नाम:** करनूल (511)		
क्रमिक संख्या 1	**सर्वेक्षण संख्या** 2	**भूमि का प्रकार** 3	**भूमि की प्रकृति** 4	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)** 5	**भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम** 6
तालुक का नाम: मंत्रालयम (5250)					
गांव का नाम: चेट्नीहल्ली (593730)					
1	21/बी	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0001000	आर् सिवा रामानागौड ऍस्/ओ रामन्नगौड
2	25/बी	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.2854000	पी ललितम्मा डबल्यू/ओ सत्यनारायण मूर्थी 25/बी2ए
3	26	सरकारी (गवर्नमेंट लैंड)	एडबल्यू	0.1468000	लक्ष्मी राधा डबल्यू/ओ शिवाजी 26/1बी2
4	27/2	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.0121000	सी वी विश्वनाथ रेड्डी ऍस्/ओ सी वी वीरा रेड्डी
गांव का नाम: मंचाला (593731)					
5	372	सरकारी (गवर्नमेंट)	पोराम्बोके (वांका)	0.0286000	वांका 372/2
6	88/12	सरकारी (गवर्नमेंट)	पोराम्बोके (गुट्टा)	0.0491000	रल्ला गुट्टा 88/12बी

गांव का नाम: कल्लुदेवाकुंटा (593732)					
7	70	निजी ((पट्टा))	ड्राय	0.1733000	ई.सत्यनारायण सेट्टी ऍस्/ओ ई.गोविन्दैया सेट्टी नंजेनागुडा मंजुनाथ ऍस्/ओ सुरेंद्र राओ
			कुल योग	**0.6954**	

[फा. सं. Rc.G1.959/2023/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2025

S.O. 5916(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **1908(E) Dated:25/04/2025** , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building of (widening/two lane with paved shoulder etc.,), Maintenance, management and operation of NH167 in the stretch of land **from Km. 112.500 to Km. 119.400 (Adoni to Madhavaram Section of Mantralayam Bypass)** in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in **"***Hans India***"** and **"***Andhra Prabha***"** both dated **09.***05.2025***;** under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH167 in the stretch of land from Km. 112.500 to Km. 119.400 (Adoni to Madhavaram Section of Mantralayam Bypass) in the district of KURNOOL in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			**District: KURNOOL**		
Sl. No.	**Survey/Plot Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area (in Hectares)**	**Name of Land Owner/Interested Person**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Taluk: Mantralayam					
Village: Chetnihalli					
1	21/B	Private ((Patta))	Dry	0.0001	R Siva RamanaGowd S/o RamannaGowd

2	25/B	Private ((Patta))	Dry	0.2854	P Lalithamma W/o Sathyanarayana Murthy 25/B2A
3	26	Government (Government Land)	AW	0.1468	Lakshmi Radha W/o Shivaaji 26/1B2
4	27/2	Private ((Patta))	Dry	0.0121	C V Viswanath reddy S/o C V Veeraa reddy
Village: Manchala					
5	372	Government	Poramboke (Vanka)	0.0286	Vanka 372/2
6	88/12	Government	Poramboke (GUTTA)	0.0491	Ralla Gutta 88/12B
Village: Kalludevakunta					
7	70	Private ((Patta))	Dry	0.1733	E.Satyanarayan setty S/O E.Govindaiah setty Nanjenaguda Manjunath s/o Surendra Rao
			Total	**0.6954**	

[F. No. Rc.G1.959/2023/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2025.12.19 22:40:43 +05'30'